संख्या–65/VI-I/2005–77(सं0)2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 10 फरवरी, 2005

विषय:– रामपुर तिराहा शहीद स्मारक के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–670/सं0नि0उ0/चार–34/ 2004, दिनांक 25 सितम्बर, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त कार्यो हेतु वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा अतिरिक्त निर्माण कार्यो के लिए रू0 10.11 लाख तथा साज–सज्जा के लिए रू0 14.18 लाख कुल धनराशि रू0 24.29 लाख (रूपये चौबीस लाख उन्तीस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख में से व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान करते है।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7(ए)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–106–संग्रहालय–04–महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण–00–24–वृहद् निर्माण कार्य नामक मद के नामें डाला जायेगा।

Nic-1130

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-1013/वित्त अनुभाग-2/2005, दिनांक 07-02-2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- VI-1/2005-77(रां0), तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4- श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग।
5- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7- परियोजन प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार।
8- सहायक निदेशक सेल्ट्रीन, दे.दून)

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।